



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



5 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 774 राँची, मंगलवार

26 दिसम्बर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

17 नवम्बर, 2023

विषय:- झारखण्ड जगुआर (STF) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को दिये जाने वाले विशेष सुविधा/भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने के संबंध में ।

संख्या-5404-- झारखण्ड राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के उन्मूलन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं-748, दिनांक-19.02.2008 के द्वारा विशेष कार्यबल का गठन किया गया था तथा इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसके सुदृढीकरण हेतु स्वीकृत्यादेश सं-4194, दिनांक-22.10.2009 के द्वारा 20 अतिरिक्त एसाल्ट ग्रुप का गठन किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं-1267 दि०-05.03.2019 द्वारा स्वीकृत्यादेश सं-4194, दिनांक-22.10.2009 के द्वारा स्वीकृत विशेष कार्य बल के पदों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को भी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं-748, दिनांक-19.02.2008 के कंडिका-5 के अनुरूप विशेष सुविधा स्वीकृत किया गया है ।

(2) विशेष कार्यबल (STF) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएँ देने का प्रावधान विभागीय स्वीकृत्यादेश सं-748, दिनांक-19.02.2008 के द्वारा किया गया है:-

1. मूल वेतन का 50 प्रतिशत एस.टी.एफ. भत्ता ।

- II. उपाधीक्षक कोटि तक के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को राशन व्यय के रूप में प्रति माह रु० 720/- (सात सौ बीस रुपये मात्र)।
- III. सहायक पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक के पदाधिकारियों को रु० 4,500/- (चार हजार पाँच सौ रुपये मात्र) वार्षिक वर्दी भत्ता, हवलदार एवं आरक्षी कोटि के सभी पुलिसकर्मियों के लिए प्रतिमाह रु० 300/- (तीन सौ रुपये मात्र) वर्दी प्रतिपालन भत्ता ।
- (3) सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में इस ईकाई के पदाधिकारी एवं कर्मियों को एस.टी.एफ. भत्ता मूल वेतन का 50% का भुगतान निर्वाध रूप से दिनांक-30.04.2019 तक किया गया तथा इसके पश्चात वर्तमान तक छूटे पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन का 50% STF भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ।
- (4) योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं.-217/एफ., दिनांक-18.01.2017 के द्वारा राज्यकर्मियों का वेतन 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित किया गया तथा भत्तों (महँगाई भत्ता को छोड़कर) का पुनरीक्षण अलग से करने का उल्लेख करते हुए तब तक पुराने वेतनमान के आलोक में पुराने भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान किया गया ।
- (5) उक्त तथ्यों के आलोक में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा STF भत्ता के पुनरीक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा पुनः सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया गया ।

उक्त समितियों के कतिपय अनुशंसाओं के आलोक में सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन का 50% STF भत्ता का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

- (क) मई 2019 से भत्ता पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत होने की तिथि तक झारखण्ड जगुआर के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को 7^{वें} वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन का 50% एस.टी.एफ. भत्ता तथा उक्त अवधि में भुगतान किये गये एस.टी.एफ. भत्ता का अन्तर राशि बकाया के रूप में भुगतान किया जाना है। उक्त बकाया की गणना वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के pre-Audit प्राधिकार द्वारा किया जायेगा तथा बकाया का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जायेगा
- (ख) विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.-748, दिनांक-19.02.2008 के कंडिका-5 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

राज्य में विशेष कार्य बल (एस०टी०एफ०) के सभी पदाधिकारी/कर्मियों को निम्नरूपेण विशेष सुविधा दिया जायेगा:-

- (i) विशेष कार्य बल (एस०टी०एफ०) में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ-साथ STF में कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को 7th PRC के मूल वेतन का 50% एस०टी०एफ० भत्ता ।
- (ii) STF पदाधिकारियों/कर्मियों को वर्दी भत्ता तथा राशन भत्ता उसी दर से देय होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य सामान्य पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए निर्धारित किया जायेगा ।
- (ग) 7^{वें} वेतनमान के आलोक में नियमित वेतनादि भुगतान हेतु पुनरीक्षित एस०टी०एफ० भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा आदेश निर्गत होने की तिथि से देय होगा ।
- (घ) उक्त सुविधा STF को सुदृढीकरण हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये अतिरिक्त पदों पर भी समान रूप से प्रभावी होगा ।
- (ङ) समिति द्वारा उठाये गये झारखण्ड जगुआर की उत्पादकता, पद की आवश्यकता, इसे बहुउद्देशीय बनाने, एस०टी०एफ० के तर्ज पर Specific Force के गठन, सघन प्रशिक्षण, Specific Accountability तथा Monitoring, एस०टी०एफ० पर होने वाले व्यय एवं इसका प्रतिफल एवं कतिपय अनियमितताओं से संबंधित बिंदुओं के जाँच हेतु अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो सभी बिंदुओं की जाँचकर दो माह में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगी ।
- (च) झारखण्ड जगुआर में मूल प्रभार धारक पदाधिकारी/कर्मियों को एस०टी०एफ० भत्ता एवं अन्य विशेष भत्ता अनुमान्य होगा परन्तु यदि झारखण्ड जगुआर के किसी पदाधिकारी/कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उन्हें भी एस०टी०एफ० भत्ता एवं अन्य विशेष भत्ता अनुमान्य होगा ।
- (छ) झारखण्ड जगुआर में नियुक्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों को चक्रचालन के आधार पर पुलिस विभाग के अन्य ईकाई में (उम्र के अनुसार) भी कार्य लिया जा सकेगा ।
- (ज) राज्य सरकार को एस०टी०एफ० भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा को समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित/संशोधित करने का अधिकार होगा ।
- (झ) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-4769, दिनांक-18.10.2023 के क्रम में दिनांक-03.11.2023 की बैठक के मद सं०-17 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।
